:: कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ::

:: कार्यालय आदेश ::

एस0बी0 सिविल याचिका संख्या 2351/19 श्री हीरा लाल डांगी व अन्य बनाम् सरकार में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा आदेश दिनांक 14.01.2021 पारित कर श्री हीरालाल डांगी व अन्य पूर्व के प्रकरण में याचिकार्थियो का अभ्यावेदन एस0बी0 सिविल याचिका संख्या 6881/2015 श्री चम्पालाल व्यास व अन्य बनाम् सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2018 के अनुरूप निस्तारित करने के आदेश प्रदान किये है।

एस0बी0 सिविल याचिका संख्या 6881/2015 श्री चम्पालाल व अन्य बनाम् सरकार में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 23.07.2018 के द्वारा याचिकार्थियों के पक्ष में निम्नानुसार आदेश पारित किया गया – " In view of foregoing discussion all these writ petitions are allowed and the respondents are directed to allow the petitioners; champalal vyas (2); Laxmi narayan soni (3) Gopal das soni, pay scale of the promotional post from the date they are performing duties of principal. i.e. 30-11-2009, 20-09-2010 and 23-10-2009 respectively, with all other consequential benefits including the benefit of pay fixation."

विभाग द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1971 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक पद पर कार्यरत कार्मिकों को कार्मिक विभाग की स्वीकृति आई0डी0 संख्या 1106/कार्मिक/क–2/09 दिनांकः 16.09.2009 द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर उनके स्वयं के पातेय वेतन पर प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पदों पर पदस्थापन की कार्यवाही इस शर्त के साथ की गई कि कार्मिक को इस पदस्थापन पर किसी प्रकार के वेतन स्थिरीकरण का लाभ देय नही होगा तथा भविष्य में पातेय वेतन पर उच्च पद का कार्य करने के सम्बन्ध में कोई परिलाभ की मांग नही करेंगे। उक्त पदस्थापन नियमित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषाओं के आधार पर की गई पदोन्नति नहीं थी।

प्रधानाध्यापक मावि एवं समकक्ष पद राजस्थान शिक्षा सेवा नियम–1970 में ग्रुप–एफ में सम्मिलित पद है तथा उक्त पद की वर्षवार रिक्तियों 50 प्रतिशत सीधी भर्ती से एवं 50 प्रतिशत विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषानुसार भरे जाने का प्रावधान नियमों में है। विभाग द्वारा पातेय वेतन पर पदस्थापन में स्पष्ट रूप से अंकन किया गया था कि संबंधित नियन्त्रण अधिकारी राज्यसेवकों के कार्यमुक्ति से पूर्व यह अन्डरटेंकिग लेवें कि वित्त विभाग के आदेश दिनांक 30.07.2013 व 23.02.2015 के अनुसार वास्तविक लाभ विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा उपरान्त पदोन्नति पर कार्यग्रहण किये जाने की दिनांक से देय होगा।

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा एस0बी0 सिविल याचिका संख्या 2351/19 श्री हीरालाल डांगी व अन्य बनाम् सरकार में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.01.2021 एवं एस0बी0 सिविल याचिका संख्या 6881/2015 श्री चम्पालाल व अन्य बनाम् सरकार में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2018 के परिप्रेक्ष्य में श्री भींजाराम बोचावत का अभ्यावेदन दिनांक 10.10.2021 व श्री गोपीलाल बोचावत का अभ्यावेदन दिनांक 20.10.2021 एवं उससे संबंधित अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.07.2018 के विरूद्ध डी.बी. स्पेशल अपील 912/2019 राज्य बनाम चम्पालाल व अन्य तथा 02 अन्य अपीलों में पारित समेकित निर्णय दिनांक 31.07.2019 पारित किया गया जिसके क्रम में शासन के पत्रांक प.17(221)माध्य/शिक्षा–2/वि0प्र0/2015 दिनांक 02.06.2020 जारी कर उक्त डी0बी0 अपीलों में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर की खण्डपीठ द्वारा पारित समेकित निर्णय दिनांक 31.07.2019 के विरूद्ध शासन स्तर से आगे विशेष अनुमति याचिका दायर नहीं किये जाने का स्थायी समिति द्वारा निर्णय लिया जाकर प्रकरण में निर्णय एवं वित विभाग द्वारा प्रदत्त राय अनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश निम्नानुसार प्रदत्त है–

"AD is requested that in compliance of D.B. Special Appeal(Writ) N0. 1202/2019 state of Rajasthan Vs Sh. Siya Ram Sharma and 3 other Court judgment actual payment may be allowed during the period these employees has performed duties of the higher post for posting as Patey Vetan and the arrangement of Patey Vetan may not be linked with the DPC held later on. The fixation of pay on DPC may be made as per the provisions of the service rules, for the earlier period notional fixation is to be made and from the date of actual joining, actual payment on promotion through DPC may be allowed as per rules. The pay drawn as patey Vetan against the higher post is not to be taken into account for the purpose of fixation of pay after selection through DPC and if pay on promotion

through DPC is fixed at lower stage then the pay drawn as Patey Vetan, difference of Patey Vetan and pay fixed on promotion shall not be admissible as Personal pay. This bears approval at competent level in FD."

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा माननीय न्यायालय के निर्देशों की पालना में याचिकार्थियों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों का नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया तथा प्रकरण से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों का अवलोकन किया गया। श्री भींजाराम बोचावत का अभ्यावेदन दिनांक 10.10.2021 व श्री गोपीलाल बोचावत का अभ्यावेदन दिनांक 20.10.2021 को स्वीकार करते हुए याचिकार्थियों द्वारा पातेय वेतन पर प्रधानाध्यापक मावि एवं समकक्ष पद पर कार्यग्रहण किये जाने की दिनांक से इनका वेतन वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त राय दिनांक 17.02.2020 एवं वित विभाग के आदेश एफ 1(7)वित्त/नियम/2008 दिनांक 30.07.2013 व 23.02.2015 के प्रावधानानुसार किये जाने की स्वीकृति के आधार पर दोनों अभ्यावेदनों को निस्तारित किया जाता है। सभी पक्षकार सूचित हों।

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–मध्य/संस्था–एबी/ए–2/या0सं0 2351/2019/ दिनांक 28.03.2022
प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त विधि परामर्शी, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
3. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
4. सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
5. जिला शिक्षा अधिकारी(विधि) माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर
6. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी–मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा।
7. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
8. सम्बन्धित याचिकार्थी एवं सस्था प्रधान।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते